राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो0प्र0) विभाग

प.13(51)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2022पार्ट–I/08237 जयपुर, दिनांक:

—: परिपत्र :—

विषयः—समस्त राजसेवकों द्वारा अपने विगत वर्षो के लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन भरने के संबंध में।

इस विभाग के परिपत्र दिनांक 30.03.2022 के द्वारा राज्य के समस्त राजसेवकों द्वारा वर्ष 2021–22 से कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन भरने का प्रावधान किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जिन राजसेवकों द्वारा विगत वर्षो के कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन नही भरा गया है, उन्हें एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन भरने हेतु दिनांक 31.01.2025 तक का समय प्रदान किया जाता है।

अतः समस्त राजसेवकों द्वारा राजकाज पोर्टल पर अपने लंबित कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) की पूर्ति नियत तिथि दिनांक 31.01.2025 तक करना सुनिश्चित करें साथ ही समस्त प्रशासनिक विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव एवं विभागाध्यक्षों (जिला कलक्टर सहित) को निम्नानुसार कार्यवाही हेतु व्यादिष्ट किया जाता है कि:—

1. अपने अधीन कार्यरत राजसेवकों के लंबित एपीएआर राजकाज पोर्टल पर ऑनलाईन समय सीमा में भरवाये जाने हेतु निर्देशित करें।
2. अपने अधीनस्थ कैडर के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के एपीएआर चैनल राजकाज (APAR/ACR) पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर सुलभ संदर्भ हेतु दिनांक 10.01.2025 तक अपलोड करवाने की व्यवस्था करावें।
3. एपीएआर भरने में आ रही समस्याओं के निराकरण हेतु नोडल अधिकारी की नियुक्ति दिनांक 10.01.2025 तक कर समस्त कर्मचारी/अधिकारी को भरवाने हेतु प्रसारित करें एवं विभाग को अवगत करावें।
4. किसी पद का चैनल निर्धारित नहीं होने की अवस्था में एपीएआर चैनल दिनांक 10.01.2025 तक निर्धारित करवाना सुनिश्चित करवाते हुए राजकाज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक पर अपलोड करावें।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) दिशा–निर्देश 05.06.08 एवं समय–समय पर जारी परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाईट https://dop.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। राजकाज सम्बंधित तकनीकी सहायता के लिए राजकाज हैल्पडेस्क नम्बर 0141–29–22281, 21149 पर सम्पर्क कर सकते है।

(कृष्णा कान्त पाठक)
शासन सचिव

Signature valid
Digitally signed by Kri... Kant Pathak
Designation : Secret... to Government
Date: 2025.0... 1...:13 IST
Reason: Approv...

RajKaj Ref No.: 12811075

क्रमांकः—राजपत्रित/डीपीसी/एसीआर/2025/05 दिनांक 07/01/25

प्रतिलिपि निम्नाकिंत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित), मुख्यालय।
5. समस्त प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान।
6. निदेशक, भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई, राजस्थान।
7. समस्त अधीक्षक, संबद्ध चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
8. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
9. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
11. समस्त चिकित्सा अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपना वर्ष 2021–22 से बकाया वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन अविलम्ब राज–काज के माध्यम से 31.01.2025 तक ऑनलाईन भरना सुनिश्चित करें। वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन ऑनलाईन नहीं करने के कारण परिलाभों से वंचित रहने पर समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी। विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध आदेश क्रमांक 2006 दिनांक 18.09.2018 के द्वारा निर्धारत चैनल अनुसार ही वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की Hierarchy बनाया जाना सुनिश्चित करें।
12. प्रभारी, सर्वरी रूम, मुख्यालय को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
13. कार्यालय प्रति।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एव स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर